



# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

## प्रबन्ध बोर्ड की 67वीं बैठक कार्यवृत्त( Minutes )

दिनांक: 27.11.2009

समय: प्रातः 11.30 बजे

प्रबन्ध बोर्ड की 67वीं बैठक दिनांक 27.11.2009 प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:—

01.	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
02.	श्री एम.एल. पीतलिया, भीलवाडा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
03.	प्रो. के.सी. शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य )	सदस्य
04.	प्रोफेसर रमाकांत, जयपुर ( कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् )	सदस्य
05.	प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, जयपुर ( राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् )	सदस्य
06.	श्री रघुनन्दन शर्मा ( डॉ. रघु शर्मा ) विधायक, केकड़ी ( विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित )	सदस्य
07.	श्री तपेश पंवार, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
08.	श्री बी.एल. सुनारिया कुलसचिव	सदस्य सचिव

### अनुपस्थित सदस्य

01.	श्री कमल बैरवा, विधायक निवाई (टौक)	सदस्य
02.	(विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	
02.	संभागीय आयुक्त	सदस्य
03.	(शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि)	
03.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
04.	निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों से प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही सम्पादित करने में सहयोग की अपेक्षा की । प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय किया कि :

*en Id:k*

*fooj.k*

*I zif/kr  
vuHhx*

**मद सं. 1** प्रबन्ध बोर्ड की 66वीं बैठक दिनांक 04.07.2009 कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क. एफ.13 (66) शैक्ष.1/ मदसविवि / 2009 / 37348-60 दिनांक 29.07.2009 द्वारा प्रेषित की गयी ।

**शैक्षणिक-I**

**निर्णय** पुष्टि की गई ।

**मद सं. 2** दिनांक 04.07.2009 को संपन्न 66वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (कार्यसूची का परिशिष्ठ-I) (Action Taken Report ) का अनुमोदन करना ।

**शैक्षणिक-I**

**निर्णय** दिनांक 04.07.2009 को संपन्न 66वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का निम्न प्रेक्षणों के साथ अनुमोदन किया गया :

**मद संख्या 14 पर प्रेक्षण—**

राज्य अपने स्तर पर इस प्रकार का आयोजन करता रहता है । अतः विश्वविद्यालय स्तर पर सेमिनार/सिम्पोजियम/सम्मेलन आयोजित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है ।

**शैक्षणिक-I**

**मद संख्या 36 बिन्दु संख्या (5) पर प्रेक्षण—**

कुलपति महोदय के मोबाईल के बिल की वास्तविक राशि का भुगतान किया जावे । यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से 1500/- रु. नकद राशि के आदेश जारी किये गये थे ।

**सामान्य  
प्रशासन**

**मद सं. 3** माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:-

(1) **प्रतिवेदन है कि** विद्या परिषद् की संस्तुति संख्या 3, 4 एवं 13 दिनांक 25.09.2009 को स्वीकार करते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार Ordinance 124 में तुरन्त प्रभाव से तदनुसार संशोधन करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक F13 ( ) Acad-I/MDSU/09/50728 dated 04.11.2009 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-II)

**शैक्षणिक-I**

**निर्णय** पुष्टि की गई ।

**(2) प्रतिवेदन है कि** राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 06 (1) एफ.डी./ (रूल्स) /2008 जयपुर दिनांक 19.06.2009 के अनुरूप विश्वविद्यालय कार्मिक, जो वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 1 जुलाई, 2008 से महंगाई भत्ते 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत एवं दिनांक 01.01.2009 से 54 प्रतिशेत से 64 प्रतिशत देय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) विवले/ मदसविवि/2009/36790 दिनांक 22 जुलाई, 2009 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट—XXII)

विवले

निर्णय पुष्टि की गई।

**(3) प्रतिवेदन है कि** राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के रूल्स डिविज़न के आदेश क्रमांक एफ 06 (1) एफ.डी./ (रूल्स) /2008 जयपुर दिनांक 11.09.2009 के अनुरूप विश्वविद्यालय अधिकारियों और कर्मचारियों जिनका विश्वविद्यालय की राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को देय महंगाई भत्ते की दर दिनांक 01.07.2009 से 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) विवले/ मदसविवि/2009/44964 दिनांक 22.09.2009 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट—XXIII)

विवले

निर्णय पुष्टि की गई।

**(4) प्रतिवेदन है कि** वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(5) एफ.डी.(रूल्स) /2009 जयपुर, दिनांक 25.09.2009 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वित्तिय वर्ष 2008–09 के लिए प्रदत्त बोनस के भुगतान की स्वीकृति के आदेश दिनांक 30.09.2009 को माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किए हैं। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( ) विवले—तृतीय/ मदसविवि/09/46953–47012 दिनांक 03.10.2009 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट—XXIV)

विवले

निर्णय पुष्टि की गई।

**(5) प्रतिवेदन है कि** माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सेवानिवृत्त सहायक कर्मचारी श्री रामलाल सैन की संविदा के आधार पर नियुक्ति की अवधि दिनांक 01.09.2009 से 06 माह के लिए बढ़ाई गई और उन्हें दिनांक 03.09.2009 से रूपये 2700/- प्रति माह स्थिर वेतन देय होगा तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि/ 2009/46440–45 दिनांक 30.09.2009 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट—XXV)

संस्थापन

निर्णय पुष्टि की गई।

**(6) प्रतिवेदन है कि** बजट निर्णयक समिति सत्र 2009–10 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए आयोजना भिन्न मद मे अनुदान की राशि रूपये 340.00 लाख तय की गई थी जिसमें छठे वेतन आयोग का एसियर सम्मिलित नहीं था। इस अनुदान के अंतर्गत अभी तक राज्य सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और शासन उपसचिव—उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक प.1(9) उच्च शिक्षा—5/2009/दिनांक 29.10.2009 (**कार्यसूची का परिशिष्ट—XXVI**) द्वारा सूचित किया कि आयोज्य वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि रूपये 170.00 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया है कि विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

निर्णय मद बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

**(7) प्रतिवेदन है कि** माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री जे. पी.झामरिया, सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव की बतौर विशेषाधिकारी संविदा के आधार पर समेकित वेतन राशि रु. 9,000/- प्रति माह पर नियुक्ति की अवधि दिनांक 08–9–2009 से 07–3–2010 तक बढ़ाई गई है तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/ 2009/51310–14 दिनांक 06–11–2009 जारी किया गया है। (**कार्यसूची का परिशिष्ट—XXVII**)

निर्णय पुष्टि की गई।

संस्थापन

**(8) प्रतिवेदन है कि** माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री रामनिवास शर्मा, सेवानिवृत्त गिरदावर, राजस्व विभाग को विश्वविद्यालय में भूमि संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु समेकित राशि रु. 6500/- प्रति माह पर 06 माह के लिए नियुक्त किया गया। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/ 2009/35276–81–14 दिनांक 15.07.2009 जारी किया गया। (**कार्यसूची का परिशिष्ट—XXVIII**)

निर्णय पुष्टि की गई।

संस्थापन

**(9) प्रतिवेदन है कि** माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री विमलचन्द जैन, सेवानिवृत्त प्रयोगशाला सहायक को संविदा के आधार पर समेकित राशि रु. 6500/- प्रति माह पर 06 माह के लिए नियुक्त किया गया है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/ 2009/43111–16 दिनांक 07.09.2009 जारी किया गया है।

निर्णय पुष्टि की गई।

संस्थापन

	(10) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डा. एन.सी. पारख सेवानिवृत्त प्राचार्य को वर्तमान सत्र 2009–10 तक के लिए निदेशक, छात्र परामर्श के रूप में कार्य ग्रहण करने की दिनांक से रु. 8000/- के मानदेय पर नियुक्त किया गया है तदनुसार कार्यालय ओदश क्रमांक एफ.1( ) मदसविवि/2009/46713–62 दिनांक 01.10.2009 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट– XXIX)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(11) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो. सुभाष तनेजा (सेवानिवृत्त) प्रोफेसर, संस्कृत राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को रु. 10,000/- प्रति माह के मानदेय पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )/संस्था/ मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19–11–2008 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष या आगामी आदेश तक जो भी पहले हो की अवधि के लिये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति दी गई है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/2009/ 40108–13 दिनांक 18–8–2009 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट– XXX)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो.एस.के. महाना (सेवानिवृत्त) प्रोफेसर, वनस्पति शास्त्र म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को रु. 10,000/- प्रति माह के मानदेय पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )/संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19–11–2008 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष या आगामी आदेश तक जो भी पहले हो की अवधि के लिये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति दी गई है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2009/ 40119–24 दिनांक 18.08.2009 जारी किया गया है। (कार्यसूची का परिशिष्ट– XXXI)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(13) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री जी.एस.सोलंकी, सेवानिवृत्त अनुभागाधिकारी की संविदा के आधार पर नियुक्ति की अवधि दिनांक 03.04.2010 तक बढ़ाई गई। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2009/50525–29 दिनांक 03.11.2009 जारी किया गया। श्री सोलंकी के दिनांक 04.11.2009 से कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार इनकी सेवायें दिनांक से समाप्त की गई तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/ मदसविवि/2009/ 52854–60 दिनांक 21.11.2009 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट– XXXII)	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	

	(14) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) एफ.डी. रूल्स/2008, जयपुर दिनांक 06.10.2009 के अनरूप ही विश्वविद्यालय कार्मिक, जो वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01 जुलाई, 2009 से महंगाई भत्ते की दर 64% से बढ़ाकर 73% देय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले/मदसविवि/2009/53364 दिनांक 23.11.2009 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIII)	विवले
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(15) प्रतिवेदन है कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12 (4) एफ.डी. रूल्स/2008, जयपुर दिनांक 11.09.2009 से पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर 22% से बढ़ाकर 27% किये जाने के क्रम में विश्वविद्यालय के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के अनुरूप 27% महंगाई राहत देय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )ए.एण्ड एफ./पेंशन/मदसविवि /2009/52597 दिनांक 18.11.2009 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIV)	विवले
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(16) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार अनुभाग अधिकारी स्तर तक के कार्मिकों को पूर्व की भाँति शिक्षण शुल्क के पुनर्भरण की राशि रु 120/- प्रतिमाह से बढ़ाकर राशि रु 200/- प्रतिमाह अथवा वारस्तविक शुल्क, जो भी कम हो, के पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2007/2373–2440 दिनांक 25.08.2007 जारी किया गया।	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(17) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री एस.सी. भार्गव (सेवानिवृत्त रीडर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर) को रु. 8000/- प्रतिमाह के मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से 06 माह या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( ) शिक्षा विभाग/मदसविवि/ 2008/138–145 दिनांक 31.12.08 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIV(a))	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	

संस्थापन

(18) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री एस.सी. भार्गव (सेवानिवृत्त रीडर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर) को रु. 8000/- प्रतिमाह के मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51065 दिनांक 19.11.2008 के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से 08 माह या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया गया था। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( ) शिक्षा विभाग/मदसविवि/ 2009/3-10 दिनांक 31.08.2009 जारी किया गया।  
**(कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIV(b))**

निर्णय

पुष्टि की गई।

संस्थापन

(19) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डा. के.एल शर्मा (सेवानिवृत्त) प्रोफेसर, विधि विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को रु. 10,000/- प्रति माह के मानदेय पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष या आगामी आदेश तक जो भी पहले हो की अवधि के लिये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति दी गई है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/52625-30 दिनांक 13.12.2008 जारी किया गया है।  
**(कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIV(c))**

निर्णय

पुष्टि की गई।

संस्थापन

(20) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री सीताराम शर्मा (सेवानिवृत्त) प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर को रु. 8000/- प्रति माह के मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2008-09 में कार्य ग्रहण करने की तिथि 31.12.2008 अपरान्ह से 06 माह या आगामी आदेश तक जो भी पहले हो के लिये नियुक्त किया गया था तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )/विधि विभाग/मदसविवि/2008/पी.बी. 57-64 दिनांक 31.12.08 जारी किया गया।  
**(कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIV(d))**

निर्णय

पुष्टि की गई।

संस्थापन

(21) प्रतिवेदन है कि प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री सीताराम शर्मा (सेवानिवृत्त) प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर को रु. 8000/- प्रति माह के मानदेय पर सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था/मदसविवि/2008/51064 दिनांक 19.11.2008 के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2009-10 में कार्य ग्रहण करने की तिथि 02.07.2009 से

08 माह या आगामी आदेश तक जो भी पहले हो के लिये नियुक्त किया गया था तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )/विधि विभाग/मदसविवि/ 2008/पी.बी.84-91 दिनांक 02.7.2009 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXIV(e))

**निर्णय पुष्टि की गई।**

**मद सं. 4** दिनांक 25 सितम्बर, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 43वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट- III)

**शैक्षणिक-I**

**निर्णय** कार्यसूची के परिशिष्ट-III पर प्रस्तुत कार्यवृत्त का निम्नलिखित प्रेक्षणों के साथ अनुमोदन किया गया :

**मद संख्या 6 पर प्रेक्षण :-**  
बिन्दु संख्या 3 को विलोपित किया जाए।

**संस्थापन**

**मद संख्या 10 (3) पर प्रेक्षण :-**  
प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि इस शर्त के साथ की गयी कि जिससे गलती हुई है उसे चेतावनी दी जाए।

**परीक्षा  
नियंत्रक**

**मद संख्या 13 पर प्रेक्षण :-**  
सेवानिवृत्त रिसर्च गार्ड के साथ को-गार्ड बनाने हेतु मद पुनः विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

**शैक्षणिक एवं  
शोध**

**मद संख्या 16 पर प्रेक्षण :-**

**शैक्षणिक-II**

**निम्नानुसार स्वीकार किया गया:-**  
सीट वृद्धि हेतु आवेदन की अंतिम तिथि सम्बद्धता शुल्क हेतु नियत शैक्षणिक सत्र से पूर्व के 31 दिसम्बर निर्धारित किये जाने एवं महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व के 30 जून तक सीट वृद्धि के संबंध में लिये गये निर्णय की जानकारी आवश्यक रूप से दिये जाने का निर्णय लिया गया तदनुसार विनियम प्रवृत्त करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

**मद संख्या 18 पर प्रेक्षण:-**

**शैक्षणिक-I**

भविष्य में प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कार्यवृत्त के साथ परिशिष्ट भी लगाये जावें।

*v/v; hnsk 24 %* निम्नानुसार स्वीकार किया गया:-

***v/v; hnsk 24 % & Joint Certificate for Certificate/Diploma/Advance Diploma course under Career Advancement Scheme of the University Grants Commission***

The joint certificates with the name of the University and the college for the Certificate/Diploma/Advance Diploma courses along with conventional degrees in Science/Arts/ Commerce faculties under the Career Oriented Programme Scheme of the U.G.C. may be issued by the college concerned.

The college will submit to the Registrar the list of such candidates to whom the joint certificates have been issued.

**मद सं 5**

विश्वविद्यालय के बजट, वित्त एवं लेखा नियम, 1997 के नियम संख्या 114 "Extent of Advance and Period of Re- payment" के बिच्छु संख्या D' Ceiling of the advance" में प्रस्तावित मकान / फ्लैट के निर्माण/ खरीद (भूमि की कीमत सहित) की सीमा के वर्तमान प्रावधान को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 प्रवृत्त किए जाने के कारण परिवर्तित हुए वेतनमानों के परिणामस्वरूप निम्नानुसार संशोधित करने पर विचार करना

विवले

वर्तमान प्रावधान			संशोधित प्रावधान	
S.No.	Category	Limit	Category	Limit
i	For employees drawing pay upto Rs. 5000/- p.m.	<b>5.00 Lac</b>	For employees drawing pay upto Rs. 10000/- p.m.	<b>7.00 Lac</b>
ii	For employees drawing pay upto Rs. 8000/- p.m.	<b>8.00 Lac</b>	For employees drawing pay upto Rs. 25000/- p.m.	<b>13.00 Lac</b>
iii	For employees drawing pay above Rs. 8000/- p.m.	<b>12.00 Lac</b>	For employees drawing pay above Rs. 25000/- p.m.	<b>19.00 Lac</b>

**निर्णय**

उक्त प्रस्ताव को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:—

वर्तमान प्रावधान		संशोधित प्रावधान	
Category	Limit	Category	Limit
For employees drawing pay upto Rs. 5000/- p.m.	<b>5.00 Lac</b>	For employees drawing pay upto Rs. 10000/- p.m.	<b>8.00 Lac</b>
For employees drawing pay upto Rs. 8000/- p.m.	<b>8.00 Lac</b>	For employees drawing pay upto Rs. 25000/- p.m.	<b>14.00 Lac</b>
For employees drawing pay above Rs. 8000/- p.m.	<b>12.00 Lac</b>	For employees drawing pay above Rs. 25000/- p.m.	<b>20.00 Lac</b>

**मद सं 6**

प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 27 दिनांक 06.12.1995 द्वारा किए गए निर्णय कि 'दिनांक 31 मई, 1994 तक सुरक्षा प्रहरी/चौकीदार/सहायक कर्मचारी के रूप में स्थिर वेतन पर रखे गये कर्मचारियों को दिनांक 06.12.1995 से इन पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं भत्ते दिए जाएं। इन कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। नियमित पद उपलब्ध होने पर इन कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर समायोजित किया जाएगा जो नियुक्ति या पदोन्नति नहीं माना जाएगा, इस प्रकार के समायोजन की दिनांक से वे नियमित रूप से सेवारत माने जाएंगे। ऐसे कार्मिकों को समायोजन की दिनांक से नियमित कर्मचारी माना गया है। इन कर्मचारियों ने प्रार्थना की है कि उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ जो अभी उन्हें नियमित नियुक्ति की दिनांक से प्राप्त हो रहा है, उसे दिनांक 06.12.1995 से दिया जाए। कार्मिकों की प्रार्थना पर विवार कर निर्णय करना।

**संस्थापन****निर्णय**

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया जा चुका है कि किसी भी कर्मचारी को उसके नियमित होने की तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

**मद सं 7**

प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय संख्या 9 दिनांक 25.09.1993 द्वारा विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरियों की संख्या 30 निर्धारित की है तथा यह भी निर्णय किया कि सुरक्षा प्रहरियों की भविष्य में होने वाली आवश्यकता को सक्षम एजेन्सियों या सैनिक बोर्ड से संविदा पर व्यक्ति प्राप्त करके पूरा किया जाए। प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय सं. 16 दिनांक 12.02.1997 द्वारा सुरक्षा प्रहरियों की पूर्व निर्धारित संख्या 30 को परिवर्तित करके 38 कर दिया। वर्तमान में स्थायी 14 और संविदा पर 46 कुल 60 सुरक्षा प्रहरी विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय के निर्मित भवनों एवं निर्माणाधीन भवनों सहित परिसर की पूर्ण सुरक्षा के दृष्टिकोण से 100 सुरक्षा प्रहरी और एक सुरक्षा अधिकारी संविदा पर सक्षम एजेन्सी अथवा सैनिक बोर्ड से लिए जाने पर विचार करना।

**मुख्य  
कुलानुशासक  
एवं संस्थापन**

निर्णय	60 सुरक्षा प्रहरियों की संख्या को स्वीकार किया गया तथा 20 अतिरिक्त सुरक्षा प्रहरियों को संविदा पर लगाये जाने का निर्णय किया गया । इनमें से अधिकांश न्युनतम वेतन पर कार्य करने वाले सुरक्षा प्रहरियों को ही संविदा पर रखा जावे ।	
मद सं 8	प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 6 दिनांक 11.10.2008 विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पदोन्नति दिए जाने एवं वरिष्ठ / चयनित वेतनमान दिए जाने के संबंध में नियम प्रस्तावित करने हेतु गठित समिति के निर्णय संख्या 1 (1 से 11 तक) पर स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह भी निर्णय किया गया था कि इन्हें अनुमोदन करने हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाए और वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने पर इन्हें लागू किया जाय । तदनुसार विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा को पत्र क्रमांक एफ1 ( ) संस्था/ 2008/36144 दिनांक 30.07.08 प्रेषित किया गया किन्तु इस संबंध में राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।	संस्थापन
निर्णय	प्रस्ताव पुनः राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय किया गया ।	
मद सं 9	विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के रिक्त 6 पद जो सीधी भर्ती के हैं पर नियुक्ति किये जाने पर विचार करना ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का निर्णय किया गया ।	
मद सं. 10	गैर आयोजना वर्ष 2009–10 के लिए बजट निर्धारण समिति दिनांक 23.10.2008, 24.10.2008 एवं 10.12.2008 के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के संबंध में किए गए निम्नांकित निर्णय पर विचार करना:— "Two posts of Assistant Registrar abolished and HLA & LA are to be created in MDS University, Ajmer."	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं 11	विश्वविद्यालय सेवा मे पुनर्नियुक्त ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मिलिट्री पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय के पेंशन विनियमों के विनियम 2:2 (डी) के अन्तर्गत "Re-employed pensioners" मानते हुए विश्वविद्यालय पेंशन नियम उन पर प्रभावशील नहीं होने के कारण उनकी मॉग को 'कि उन्हें विश्वविद्यालय में की गई सेवा का पेंशन लाभ दिया जाए' राज्य सरकार के समक्ष पत्र दिनांक 14.07.2008 और 06.10.2008 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने पत्र प. 18 (1) शिक्षा-4/08/पार्ट दिनांक 17.11.2008 द्वारा सूचित किया है कि "विश्वविद्यालय अपने वर्तमान नियमों में पेंशन संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय कर सकता है ।" अतः राज्य सरकार के पत्र के संदर्भगत विचार करना ।	संस्थापन

निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं. 12	<p>प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय सं. 14 दिनांक 26.06.2006 की अनुपालना में डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल को जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक एफ.( )पीए/ कुलसचिव/मदसविवि/2006/1445 दिनांक 5.10.2006 के उत्तर में प्राप्त प्रत्युत्तर पर निम्नांकित दस्तावेजों के साथ विचार कर निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 11.06.2008 को आयोजित बैठक में मद संख्या 7 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे आगामी बैठक में विचार हेतु रखा गया । अतः स्थगित मद पर निर्णय करना :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/ 2002/6864 दिनांक 12.09.2002 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 24.10.2002 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्तकी प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- IV)</li> <li>2. डॉ. खण्डेलवाल को ज्ञापन क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/ मदसविवि/2002/285 दिनांक 24.10.2002 के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप-पत्र की प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- V)</li> <li>3. जॉच अधिकारी के नियुक्ति के आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2002/349-57 दिनांक 26.12.2002 की प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- VI)</li> <li>4. जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2003 को प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन की प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- VII)</li> <li>5. जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर राजस्थान के महाधिवक्ता श्री बी.पी. अग्रवाल से विधिक परामर्श हेतु किए गए निवेदन क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2006/1075 दिनांक 18.03.2006 की प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- VIII)</li> <li>6. महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक एजी/ पीएस/ फीस/ लीगल/ओपिनियन/2006 दिनांक 20.06.2006 के अन्तर्गत प्रदत्त विधिक परामर्श की प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- IX)</li> <li>7. बोर्ड की निर्णय सं. 14 दिनांक 26.6.2006 की अनुपालना में डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल को दिए गए कारण बताओ नोटिस क्रमांक एफ.( )कुलसचिव/मदसविवि/2006/1445 दिनांक 05.10.2006 की प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- X)</li> <li>8. उक्त कारण बताओं नोटिस के उत्तर में डॉ. खण्डेलवाल द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की प्रति । (कार्यसूची का परिशिष्ट- XI)</li> </ol>	संस्थापन
निर्णय	अगली बैठक में इस शर्त के साथ विचार हेतु स्थगित किया गया कि इस संबंध में उनके मूल दस्तावेज भी दिखाये जाये ।	

मद सं 13	विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 17 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार विश्वविद्यालय में दो प्रकार की शोध अध्ययेत्तावृति एवं आर्थिक सहयोग हेतु लागू किए जाने के सम्बन्धित प्रस्तावित अध्यादेश ( <b>कार्यसूची का परिशिष्ट-XII</b> ) पर विचार करना । (परिशिष्ट पृथक से प्रेषित किया जायेगा )	शोध
निर्णय	अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।	
मद सं 14	प्रबन्ध बोर्ड पर कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् प्रो. रमाकांत के संयोजकत्व में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 03.06.2009 द्वारा विश्वविद्यालय के मैरिट लिस्ट नियम और पदक प्रदान करने की शर्तों की पुनर्विक्षा करके उन्हें स्पष्ट एवं व्यावहारिक बनाए जाने के क्रम में की गई संस्तुतियों पर विचार करना । ( <b>कार्यसूची का परिशिष्ट-XIII</b> )	परीक्षा
निर्णय	<i>kaarysouchi ke parishiasth-XIII ij izryz Ifefr dh Izrif; k dk vuqbluu fd; kx; kA</i>	
मद सं 15	मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक. एस.ई.सी / 2009 / 43 दिनांक 27.02.2009 की अनुपालना में श्री आर.सी. जैन, सहायक अभियन्ता ने दिनांक 02.03.2009 को पुर्वाह्न में प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति दी थी । दिनांक 02.03.2009 को चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण पूर्व से कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री अनुराग को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका । माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री आर.सी. जैन को दिनांक 09.03.2009 को सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया । अतः उक्त श्री आर.सी. जैन को दिनांक 02.03.2009 से 09.03.2009 तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त सहायक कुलसचिव के पद के विरुद्ध उठाया जाकर किए जाने पर विचार करना ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया ।	
मद सं. 16	विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 18 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 की अनुपालना में विश्वविद्यालय परिसर और विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों तथा छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणोत्तर गतिविधियों में अर्जित उपलब्धियों के लिए <b>अचीवर्स क्लब</b> गठित किए जाने के संबंध में प्रो. के.के. शर्मा, विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र विभाग की अध्यक्षता में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार करना ( <b>कार्यसूची का परिशिष्ट-XIV</b> ) ।	डीन, छात्र कल्याण
निर्णय	<i>mä izrlö dk vLohdly fd; kA</i>	

मद सं 17	भवन निर्माण समिति की दिनांक 1 जुलाई, 2009 को सम्पन्न 39वें बैठक के कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ट— XV) पर विचार करना ।	अभियन्ता कार्यालय																																																		
निर्णय	कार्यसूची के परिशिष्ट— XV <i>ij iJrg dk dIk dk vuqhu fd; k X;kA</i>																																																			
मद सं 18	वर्ष 2005 में वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक की अवधि में रिक्त रहे अनुभाग अधिकारी/कार्यालय सहायक/लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यतानुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत पदों पर (योग्यता कम वरीयता अनुसार) विभागीय चयन समिति आयोजित करके वर्षवार पदोन्नति के स्थान पर वर्ष 2005 से पदोन्नति दिए जाने के कारण इस अवधि में रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित करने पर विचार करना ।	संस्थापन																																																		
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि "अभी तक जो भी पदोन्नति हो चुकी है वह यथावत रहेगी एवं वर्ष 2005–06 से वर्षवार पदोन्नति की जाये।"																																																			
मद सं. 19	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्यायन के 5 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्प्रत्यायन हेतु आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है। इस विश्वविद्यालय का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन 16 सितम्बर, 2004 को हुआ था। अतः परिषद् को पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्प्रत्यायन हेतु आमंत्रित करने हेतु विचार करना ।	शैक्षणिक—I																																																		
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।																																																			
मद सं. 20	प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 14 (10) शिक्षा-4/01 पार्ट दिनांक 09.01.2009 द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है:-	संस्थापन																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>विषय</th><th>प्रोफेसर</th><th>एसो.प्रोफेसर</th><th>असि. प्रोफेसर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>इतिहास</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>माइक्रो बायलॉजी</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>बॉटनी</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>फूड एण्ड न्यूट्रीशन</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ज्यूलॉजी</td><td>-</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>प्योर एण्ड एप्लायड केमेस्ट्री</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>7</td><td>कॉमर्स</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td><b>कुल</b></td><td><b>4</b></td><td><b>11</b></td><td><b>1</b></td></tr> </tbody> </table>			क्र.सं.	विषय	प्रोफेसर	एसो.प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर	1	इतिहास	1	2	-	2	पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	-	1	-	3	माइक्रो बायलॉजी	1	2	-	4	बॉटनी	-	2	-		फूड एण्ड न्यूट्रीशन	1	1	-	5	ज्यूलॉजी	-	2	1	6	प्योर एण्ड एप्लायड केमेस्ट्री	-	1	-	7	कॉमर्स	1	-	-		<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
क्र.सं.	विषय	प्रोफेसर	एसो.प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर																																																
1	इतिहास	1	2	-																																																
2	पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	-	1	-																																																
3	माइक्रो बायलॉजी	1	2	-																																																
4	बॉटनी	-	2	-																																																
	फूड एण्ड न्यूट्रीशन	1	1	-																																																
5	ज्यूलॉजी	-	2	1																																																
6	प्योर एण्ड एप्लायड केमेस्ट्री	-	1	-																																																
7	कॉमर्स	1	-	-																																																
	<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>																																																

इसी प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों को समाप्त करने की सूचना दी है:-

क्र.सं.	विषय	प्रोफेसर	एसो.प्रोफेसर	असि. प्रोफेसर
1	मैनेजमेंट स्टेडिज	2	2	-
2	माइक्रो बायलॉजी	-	2	1
3	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	-	1	1
4	संस्कृत	1	-	1
5	वैदिक	-	1	-
	<b>कुल</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

विश्वविद्यालय में प्रोफेसर/एसो० प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के स्वीकृत पद, कार्यरत तथा रिक्त पदों की सूचना कार्यसूची के परिशिष्ट-6 के अनुसार है ।

उक्त संबंध में कुछ तथ्य इस प्रकार है:-

1. माइक्रो बायलॉजी विषय के एसो० प्रोफेसर के कुल 02 पद स्वीकृत और दोनों ही रिक्त हैं । प्रमुख शासन सचिव ने इन दोनों पदों को भरने की ओर दोनों ही पदों को समाप्त करने की स्वीकृति अपने पत्र में अंकित की है ।
2. पूर्व में खाद्य एवं पोषण विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त एसो० प्रोफेसर का 01 पद प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार एसो० प्रोफेसर इन फिजिक्स के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया था । उस पद का विज्ञापन भी जारी करके साक्षात्कार भी आयोजित किये गये, जिन्हें महामहिम कुलाधिपति महोदय ने आंशिक रूप से निरस्त किया है अर्थात् एसो० प्रोफेसर इन फिजिक्स के पद का साक्षात्कार होना है । खाद्य एवं पोषण के इस पद की स्वीकृति को गणित विषय के पद का अतिरिक्त स्वीकृत पद मानते हुए भरने की कार्यवाही की जाए ।
3. माइक्रो बायलॉजी में एसो० प्रोफेसर का कोई भी पद रिक्त नहीं है । जबकि प्रमुख शासन सचिव के पत्र में ऐसे 01 पद को समाप्त किया गया है ।
4. राज्य सरकार ने प्रोफेसर संस्कृत के 01 पद को समाप्त करना सूचित किया है जबकि यह पद पूर्व में विज्ञापित किया जाकर इस पर साक्षात्कार आयोजित किये गये थे, जिन्हें महामहिम कुलाधिपति ने इस शर्त के साथ निरस्त किया है कि इस पद का साक्षात्कार पुनः होगा जिसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए जो निरस्त किये गये साक्षात्कार में आमंत्रित किये गये थे । अतः इस पद को संस्कृत प्रोफेसर का अतिरिक्त स्वीकृत पद मानते हुए भरने की कार्यवाही की जाए ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार के पत्र पर विचार करना ।

निर्णय	कुलपति महोदय एवं प्रो० पी.एस. वर्मा प्रमुख शासन सचिव (शिक्षा विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर से सम्पर्क कर पदों के संबंध में हुई विसंगतियों को सही कराएँ व पदों को भरने संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ की जावें ।	संस्थापन
मद सं 21	सेवाओं और संस्थाओं आदि में प्रायोजित योजनाओं और बाह्य अनुदानित प्रकल्पों में समेकित पैकेज के साथ संविदा पर नियुक्त हेतु राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र क्रमांक एफ 1 (5) एफडी/नियम/2002 दिनांक 09.01.07 के साथ संलग्न अनुबंध के प्रारूप एवं उनसे संबंधित परिशिष्ठ-I,II तथा अनुलग्नक-I (कार्यसूची का परिशिष्ठ-XVI) पर विचार करना ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं 22	विश्वविद्यालय के खाद्य एवं पोषण विभाग में "एकवर्षीय एडवांस्ड पी.जी. डिप्लोमा इन फूड एण्ड हैल्थ सिक्यूरिटी" और रिमोट सैंसिंग एवं जियो-इन्फोरमैटिक्स विभाग में" दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा इन रिमोट सैंसिंग एण्ड जियो इन्फोरमैटिक्स' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से चलाए जाने के संदर्भ में वित्तीय सहायता की शर्त यह भी लगाई गई है कि इस आर्थिक सहायता की स्वीकृति की अवधि (01.04.07 से 31.03.12) की समाप्ति के पश्चात् इन पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ एवं अन्य आवर्ती जिम्मेदारियों का वहन राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा । तत्कालीन कुलपति ने इस आवर्ती वित्तीय भार को विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने का पत्र अपने स्तर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया था । अतः इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए परियोजना में स्वीकृत किए गए स्टाफ की जिम्मेदारियों के वहन के संबंध में विचार कर निर्णय करना ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं 23	विश्वविद्यालय में स्थिर मानदेय/पारिश्रमिक पर नियुक्त किए गए कार्मिकों और सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किए गए कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश दिए जाने के संबंध में प्रावधान प्रस्तावित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की दिनांक 02.07.2009 को हुई बैठक की संस्तुतियों (कार्यसूची परिशिष्ठ-XVII) पर विचार करना ।	संस्थापन
निर्णय	प्रत्येक माह के लिए एक अवकाश, इस प्रकार एक वर्ष के लिए कुल 12 अवकाश देय होंगे जिसे कार्मिक प्रतिमाह अथवा एकसाथ (अवकाश देय होने पर) आवश्यकतानुसार ले सकेगा, का निर्णय किया गया ।	
मद सं 24	विश्वविद्यालय के निम्नांकित वेतन एवं भत्ते नियम संख्या 29 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31 जुलाई, 2009 को सेवानिवृत्त होने वाले दो आचार्यों (प्रोफेसर आर.पी. जोशी, राजनीति विज्ञान विभाग एवं प्रोफेसर एस.के. माहना, वनस्पति शास्त्र विभाग) को संलग्न औचित्य (कार्यसूची का परिशिष्ठ-XVIII & परिशिष्ठ-XIX) के आधार पर	संस्थापन

सेवानिवृत्ति की दिनांक के पश्चात् सेवा में रखे रखने (retain) पर विचार करना :

**29. Compulsory retirement on attaining the age of superannuation :**

Except as otherwise provided in the Rules, the date of compulsory retirement of University employees is the afternoon of the last day of the month in which he attains 60 years of age. He may be retained in service after the date of compulsory retirement with the sanction of the Board of Management on special grounds which must be recorded in writing but in no case he may be retained after the age of 62 years except in very special circumstances.

**निर्णय**      उक्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया व Visiting Professor *dk* 15,000/- रु. प्रतिमाह एवं सह/सहायक आचार्य को 10000/-रु प्रतिमाह तथा रहने के लिए मकान, (अगर मकान खाली हो तो) दिये जाने का निर्णय किया गया ।

**मद सं. 25**      विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ 3-1/94 (पीएस-7) दिनांक 19.10.2006 (**कार्यसूची का परिशिष्ठ- XX**) जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष आदि को कैरियर एडवांसमैण्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति लाभ प्रदान करने की योजना सूचित की गई है तथा इसे राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट ने निर्णय संख्या 5 दिनांक 27.02.2007 के द्वारा स्वीकार करके सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को इस योजना का लाभ प्रदान किया है । तदनुसार इस विश्वविद्यालय में भी इस योजना को लागू करने पर विचार करना ।

**संस्थापन**

**निर्णय**      उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

**मद सं. 26**      दिनांक 10 जून, 2009 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 42वीं बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या 13 व 14 पर विचार करना । (**कार्यसूची का परिशिष्ठ- XXI**)

**शैक्षणिक**

**निर्णय**      *Vxyh cBd esfopkj grqLWxr fd; kx; kA*

**मद सं. 27**

प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 34 दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 के क्रम में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22 (3) (क) एवं (ख) के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यादेश बनाये जाने हेतु प्रारूपण का कार्य सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो। जे.पी. व्यास, 8 सी-34 महेशनगर, जयपुर से निम्नांकित शर्तों पर करवा लिये जाने हेतु विचार करना:-

1. प्रस्तावित कार्य एक जॉब के रूप में समेकित पारिश्रमिक राशि 60,000/- पर दो माह की अवधि में पूरा किया जाएगा ।
2. प्रो। व्यास सप्ताह में कम से कम चार दिन अजमेर में रुककर यह कार्य सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें महाराणा प्रताप भवन में एक कक्ष आवश्यक सुविधाओं से सम्पन्न उपलब्ध करा दिया जावे, जिसमें एक इण्टरकॉम टेलीफोन, कूलर, कम्प्यूटर मय प्रिंटर तथा अंग्रेजी जानकार एक स्टेनोग्राफर की सेवाएँ प्रदान की जावेगी ।
3. आवश्यक स्टेशनरी व कम्प्यूटर सामग्री की मांग करने पर उप कुलसचिव (सा.प्र.) वांछित सामग्री अविलम्ब उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ।
4. प्रो। व्यास को सप्तिनिक निःशुल्क आवास अतिथिगृह में इस कार्य की अवधि के दौरान आवंटित किया जाएगा ।
5. भोजन एवं अल्पाहार का व्यय, प्रो। व्यास स्वयं वहन करेंगे ।
6. जयपुर से आने एवं जाने का यात्रा और दैनिक भत्ता पृथक से उन्हें देय नहीं होगा ।

**निर्णय**

उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । इस कार्य हेतु देय पारिश्रमिक की राशि अगर कम हो तो आगामी बैठक में उसका अनुमोदन करा लिया जाएँ ।

**मद सं. 28**

उपशासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ.1 (1) शिक्षा 4/2008 / दिनांक 27.10.2009 (प्रतिलिपि संलग्न है) के बिन्दु संख्या 4 (1) में वर्णित शर्त की अनुपालना में इस विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर) पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डायरेक्टर, फिजिकल एज्यूकेशन, उप एवं सहायक-निदेशक, फिजिकल एज्यूकेशन के वर्तमान वेतनमान को, इस पत्र में दी गई निम्नांकित तालिका के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की पालना में इस पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने हेतु लागू करने पर विचार करना:-

**संस्थापन**

S.No.	Name of the Post	Existing pay scale	Revised pay scales
1.	Assistant Professor (Ordinary Scale)	8000-275-13500	15600-39100 AGP-6000
2.	Assistant Professor (Senior Scale)	10000-325-15200	15600-39100 AGP-7000
3.	Assistant Professor (Selection Scale) Who have not completed three year as on 1.1.2006	12000-420-18300	15600-39100 AGP-8000
4.	Assistant Professor (Selection Scale) Who have completed three year as on 1.1.2006	12000-420-18300	37400-67000 AGP-9000
5.	Associate Professor	12000-420-18300	37400-67000 AGP-9000
6.	Professor	16400-450-20900- 22400	37400-67000 AGP-10000
7.	Vice-Chancellor	25000 (Fixed)	75000 (Fixed) + 5000 Special Allowance

एतदर्थं राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना No. F.14 (1) FD (Rules) /2009 दिनांक 12–10–2009 के नियम संख्या 9 (1) (A) में दिए गए नोट के आधार पर वेतन नियतन किए जाने हेतु अधिसूचना के नियम 7 में वर्णित अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 को प्रवृत्त करने पर विचार करना । (**कार्यसूची का परिशिष्ट—XXXV**)

#### निर्णय उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

**मद सं. 29** श्री राजेश चन्द्र पुरोहित, कार्यालय सहायक, विवले से प्राप्त पत्र दिनांक 23.01.2009 (**कार्यसूची का परिशिष्ट—XXXVI**)में वर्णित कारणों पर विचार करते हुए श्री पुरोहित को दिनांक 23.05.2006 से दिनांक 30.06.2006 तक कुल 39 दिन की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अवकाश नियम संख्या 33 के अन्तर्गत Leave not due दिये जाने की प्रार्थना पर विचार करना ।

**संस्थापन**

#### निर्णय अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया ।

**मद सं. 30** राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, जिसके द्वारा दिनांक 20.01.2006 से राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, उन संशोधनों के आधार पर विश्वविद्यालय के "The Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer Conditions of Service etc. of employees" में निम्नांकित संशोधन दिनांक 20.01.2006 से प्रवृत्त किए जाने पर विचार करना ।

**संस्थापन**

The following new provision "13(A) Probationer-trainee" may be inserted below existing Rule 13:

#### **RULE 13(A) PROBATIONER TRAINEE**

- (1) Probationer-trainee: means a person appointed through direct recruitment against a clear vacancy in the cadre of service and placed under training on fixed remuneration for a period of two years or extended period, if any.
- (2) Notwithstanding anything contained in any rules all appointments in University on or after 20-01-2006 shall be made as a probationer trainee for a period of 2 years and during the period of probation training, he/she will be paid fixed remuneration at such rates as may be prescribed by the Government from time to time. After successful completion of probation training he/she will be allowed minimum pay in the pay scale of the post and the period of probation training shall not count for grant of annual grade increments(s).  
Provided further also that a government servant, who is already in regular service of State Government, if appointed as probationer trainee for a period of two years on or after 20-01-2006 shall be allowed pay in his/her own pay scale of the previous post or fixed remuneration at such rates as may be prescribed by the Government from time to time, whichever may be beneficial to him/her and be fixed in pay scale of the new post as per provisions of Rule 26 of Rajasthan Service Rules, 1951.
- (3) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.
- (4) Female probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 & 104 of Rajasthan Service Rules, 1951.

ନିର୍ଣ୍ଣୟ

*vxyh cBd esfoplj grqLffxr fd; kx; kA*

<b>मद संख्या 31</b>	<p>प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 10 दिनांक 04.07.2009 द्वारा विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 09.01.2009 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति संख्या 6(घ) का अनुमोदन किया जिसके अनुसार "विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी जिन पर विश्वविद्यालय पेंशन विनियम 1990 प्रभावशील है, के लिए सृजित पेंशन निधि में संबंधित कार्मिक के पद के रनिंग पे—बैण्ड के अधिकतम वेतन की राशि की 12 प्रतिशत राशि, प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय अंशदान के रूप में जमा की जाएगी।"</p> <p>राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के नोटिफिकेशन नं० एफ.(2)वित्त/नियम/05 भाग 1 दिनांक 23.07.2009 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 2009 दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी करते हुए पेंशन अंशदान की दर में यह परिवर्तन किया है कि "कार्मिक के रनिंग पे—बैण्ड में वेतन, ग्रेड—पे तथा महंगाई भत्ते की राशि के योग की 10 प्रतिशत राशि, प्रतिमाह पेंशन अंशदान के रूप में जमा की जाएगी। कार्मिक की 15 दिवस से अधिक की कार्यावधि को पूर्ण माह माना जाएगा तथा 15 दिवस तक की कार्यावधि को छोड़ दिया जाएगा।"</p> <p>अतः विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिकों जिन पर विश्वविद्यालय पेंशन विनियम, 1990 प्रभावशील है, के लिए प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 10 दिनांक 04.07.2009 के स्थान पर राज्य सरकार के उक्त प्रावधान के अनुसार प्रतिमाह रनिंग पे—बैण्ड में वेतन, ग्रेड—पे और महंगाई भत्ते की राशि के योग की 10 प्रतिशत की राशि, विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन अंशदान के रूप में दिनांक 01.01.2010 से जमा कराए जाने पर विचार करना।</p>	<b>विवले</b>
<b>मद संख्या 32</b>	<p>एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश (2007–2012) की अवधि में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के संचालन के लिए अनुच्छेद 3.5 (b) के प्रावधान के अनुसार आयोग द्वारा निम्नांकित अशैक्षणिक स्टाफ दिये जाने का प्रावधान है:-</p>	<b>संस्थापन</b>

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या
1	अनुभागाधिकारी	01
2	वरिष्ठ सहायक	01
3	कनिष्ठ सहायक	01
4	कम्प्यूटर सहायक	01
5	लाइब्रेरियन अथवा टेक्निशियन	01
6	स्टेनो टाईपिस्ट / कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
7	सहायक कर्मचारी	01
8	होस्टल अटेंडेन्ट	01

(उन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लिए जिनके पास स्वतंत्र रूप से अपनी निवास / हॉस्टल सुविधाएँ हैं)।

वर्ष 2007 से 2012 की अवधि में उपर्युक्त स्टाफ का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जायेगा उसके पश्चात् इन पदों का वित्तीय दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वहन करना होगा।

इन प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लिए उपर्युक्त अशैक्षणिक पदों का सृजन किये जाने पर विचार करना।

निर्णय	<i>vxyh cBd esfopkj grqLffxr fd; kx; kA</i>	
मद संख्या 33	विश्वविद्यालय मेर कार्यरत श्री संजय पाराशार प्रबंधक अतिथि—गृह को 09 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चयनित वेतनमान रु. 6500—200—10500 एवं 18 वर्ष की सेवा के पश्चात् द्वितीय चयनित वेतनमान रु. 8000—275—13,500 दिये जाने हेतु इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05—11—2009 पर विचार करना। (कार्यसूची का परिशिष्ठ—XXXVI(a))	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।	
मद संख्या 34	विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार वित्त समिति के सदस्य के रूप मे प्रबंध बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित करना।	विवले
निर्णय	<i>vxyh cBd esfopkj grqLffxr fd; kx; kA</i>	
मद संख्या 35	डॉ. एन. सी. पारख, सेवानिवृत्त प्राचार्य को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( ) संस्था /मदसविवि/2009/46712/ दिनांक 01.10.2009 के तहत सत्र 2009—10 के लिए निदेशक, छात्र परामर्श के रूप मे कार्य ग्रहण करने की दिनांक से रु. 8000/-प्रति माह के मानदेय पर नियुक्त किया गया (इन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया है) विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर के पद पर (रु. 16400—22400) से सेवानिवृत्त शिक्षकों को रु. 10,000/-प्रति माह के मानदेय पर नियुक्ति की जाती है।	संस्थापन
	डॉ.एन. सी. पारख, सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, व्यावर के पद से सेवानिवृत्त हुए है। सेवानिवृत्ति के समय इनको दिया जा रहा वेतनमान प्रोफेसर के पद के वेतनमान के समान ही रु. 16400—22400 था, अतएव डॉ. पारख की निदेशक, छात्र परामर्श के रूप मे की गई उक्त नियुक्ति मे इनका मानदेय कार्य ग्रहण करने की दिनांक से रु. 8000/- के स्थान पर रु. 10,000/- प्रति माह किये जाने हेतु विचार करना।	
निर्णय	<i>vxyh cBd esfopkj grqLffxr fd; kx; kA</i>	
मद संख्या 36	डॉ. पावस गोस्वामी को नियमित प्रक्रियानुसार चयन उपरान्त सहायक आचार्य—सूक्ष्मजीव विज्ञान के रूप मे दो वर्ष के परीक्षा काल पर नियुक्ति दी गई डॉ. गोस्वामी को दिनांक 01 मई से 31 मई, 2009 एवं 20 जून से 01 जुलाई, 2009 की अवधि के लिए विभाग मे प्रवेश प्रक्रिया व अन्य विभागीय कार्यों के संपादन हेतु तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन मे अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक के रूप मे कार्य करने के लिए रोका गया।	संस्थापन

उक्त ग्रीष्मावकाश अवधि मेरोके जाने के एवज में विश्वविद्यालय अवकाश नियम 27(ii) के प्रावधानों के तहत देय उपार्जित अवकाश इन्हें नहीं दिया जा सकता है क्योकि उस समय ये "प्रोबेशन ट्रेनी" थे और प्रोबेशन ट्रेनी को उपार्जित अवकाश नहीं मिलता है ।

विभाग में शिक्षकों की कमी होने के कारण विभागीय एवं प्रवेश संबंधी कार्य के लिए इन्हें रोका जाना आवश्यक था और परिसर में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के लिए अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक के रूप मे इनकी सेवाएं भी ली जानी आवश्यक थी, अतएव डॉ. गोस्वामी को दिनांक 01 मई से 31 मई, 2009 एवं 20 जून से 01 जुलाई, 2009 तक विश्वविद्यालय कार्य से रोके जाने के कारण इन्हें विश्वविद्यालय अवकाश नियम 27(ii) के तहत दिया जाने वाला उपार्जित अवकाश, वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वीकृत करने हेतु विचार करना ।

**निर्णय**      **उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**

**मद संख्या 37** राज्य सरकार एवं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों मे की गई सेवा की गणना पेशन लाभ के लिये किये जाने हेतु प्राप्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के अभ्यावेदनों पर विचार कर अपनी संस्तुतियाँ देने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 57 दिनांक 04.07.2009 द्वारा प्रो० रमाकान्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19.11.2009 का कार्यवृत्त (**कार्यसूची का परिशिष्ट— XXXVII**) पर विचार करना ।

**संस्थापन**

**निर्णय**      **Vxyh cBd esfopkj grqLffxr fd;kx;kA**

**मद संख्या 38** विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग द्वारा कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित पत्र कमांक प. 21 (3) शिक्षा-4 दिनांक 15-10-2008 की प्राप्त प्रतिलिपि में मदसविवि, अजमेर को सूचित किया था कि, "वित्त विभाग के निर्देशानुसार, अजमेर विश्वविद्यालय से कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में स्थाई समायोजन हेतु सरप्लस किए गए पदों में से जितने पद स्थानान्तरित नहीं हो पाए हैं, उतने पदों को समाप्त किया जावे । यदि समाप्त करने हेतु इतने पद रिक्त नहीं हैं, तो भविष्य में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से रिक्त होने पर समाप्त किया जावे ।" प्रबंध बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने निर्णय का मद संख्या 20 के तहत प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 04-7-2009 में किया । कोटा विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं हुए पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

**संस्थापन**

क्र.सं.	पदनाम	कोटा विश्वविद्यालय कोटा में कर्मचारी भेजने शेष
1.	कनिष्ठ लिपिक	05
2.	वरिष्ठ लिपिक	02
3.	झाईवर	01
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15
	योग	23

इसके बाद उप शासन सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के पत्र क्रमांक प. 1 (9)उच्च शिक्षा-5/2008 दिनांक 20-3-2009 के पत्र के साथ बी.एफ.सी. (नॉन प्लान) 2009-2010 की बैठक दिनांक 23-10-2008, 24-10-2008 एवं 10-12-2008 के कार्यवृत्त में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

**AD did not comply the decision of last BFC**

**Name of University**

M.D.S. UNIVERSITY AJMER	20 Post not abolished and 29 post not transferred in Bikaner and Kota University, hence decided to be kept in abeyance.
-------------------------	---

उक्त निर्णय में 20 पदों को विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त नहीं किये जाने का अंकन गलतकिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि बी.एफ.सी. नॉन प्लान 2007-2008 के कार्यवृत्त में निम्नलिखित 20 पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, विश्वविद्यालय ने उसमें से निम्नांकित 14 पद समाप्त कर दिए थे क्योंकि अन्य शेष 06 पदों को समाप्त नहीं करने का निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था (पूरा विवरण नीचे दी गई तालिका में है) :—

**बी.एफ.सी. 2007—2008 नॉन प्लान में समाप्त किये गये पद**

क्र. सं.	पदनाम	समाप्त किये जाने वाले पदों की संख्या	विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त किये गये पद	पदों को समाप्त नहीं करने की राज्य सरकार की सहमति
1.	उपकुलसचिव	02	02 आदेश संख्या 2781 दिनांक 28.3.2008	
2.	अनुभागाधिकारी	02	02 आदेश संख्या 2781 दिनांक 28.3.2008	
3.	सहायक / लेखाकार	01	01 आदेश संख्या 2781 दिनांक 28.3.2008	
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	01		01 पत्र क्रमांक प. 14 (20) शिक्षा-4/2007 /दिनांक 12.8.2008
5.	डाटा एन्ड्री ऑपरेटर	01	01 आदेश संख्या 8728 दिनांक 14.6.2007	
6.	कनिष्ठ लिपिक	13	08 आदेश संख्या 2781 दिनांक 28.3.2008	05 पत्र क्रमांक प. 14 (20) शिक्षा-4/2007 /दिनांक 12.8.2008
	योग	20	14	06

कोटा एवं बीकानेर विश्वविद्यालय में जो 29 पद स्थानान्तरित नहीं हुए हैं उनका विवरण निम्नानुसार है जिनके संबंध में बी.एफ.सी. 2009-10 में निर्णय लिया है कि "29 Posts not transferred in Bikaner and Kota University, hence decided to be kept in abeyance"

क्र.सं.	पदनाम	कोटा विश्वविद्यालय कोटा में कर्मचारी भेजने शेष	बीकानेर बीकानेर में कर्मचारी भेजने शेष	विश्वविद्यालय
1.	कनिष्ठ लिपिक	05	—	
2.	वरिष्ठ लिपिक	02	01	
3.	ड्राईवर	01	—	
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	05	
	योग	23	06	

अतः इस निर्णय के आधार पर प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्णय संख्या 20 दिनांक 04-7-2009 के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इन पदों को BFC 2009-10 के निर्णय के अनुसार kept in abeyance रखना ।

### *mä iLrlö dksLohdly fd;k x;kA*

**मद संख्या 39** आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निम्नलिखित 47 महाविद्यालयों को प्रदत्त मान्यता निरस्त करते हुए सत्र 2009-2010 से किसी भी कक्षा में प्रवेश पर रोक लगाई जा चुकी है अथवा सत्र 2009-2010 में प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वाद्वंद्व में प्रवेश पर रोक लगाते हुए केवल पार्ट-द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तराद्वंद्व) एवं सत्र 2010-2011 में केवल पार्ट-तृतीय की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसकी अनुपालना में सम्बन्धित महाविद्यालयों को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में किसी भी कक्षा में प्रवेश पर रोक/सत्र 2009-2010 में केवल पार्ट-द्वितीय एवं तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तराद्वंद्व एवं सत्र 2010-2011 में केवल पार्ट-तृतीय की कक्षाएं संचालित करने के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है, महाविद्यालय को सूचित किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा वर्तमान सत्र के लिये जिन महाविद्यालयों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि करते हुए प्रवेश पर रोक हटा दी गई है, ऐसे महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पर रोक हटाते हुए प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा चुकी है अथवा प्रक्रियाधीन है:

### **शैक्षणिक-II**

*I = 2009&2010 esfdll h Hh d/kk esizsk ij jkl  
Snuket 21-11-2009 rd iMr l puk ds vkkkj ij ½*

<i>O- Ia</i>	<i>egkko/ky; dkule</i>	<i>VkPj/ dkxk t'kW jktLkku/ t;ijg dk egkko/ky; esizsk ij jkl yxks tkus gry tijh i=dk o snuket</i>	<i>VkPj/ dkxk t'kW jktLkku/ t;ijg }jk i% t jh vukkta- i=dkk i= ds vkkkj ij I = 2009&amp;10 ds fy;s fo'olo/ky; }jk dk xbZdk ZlghA</i>
1.	पोकरण डिग्री कॉलेज, पोकरण (जैसलमेर)	एफ.4(138 / 417)आकाशि / अनु / 2005 / 49 दि. 16.01.09	, u-vkjh iMr ugtaA
2.	शहीद सुरेन्द्रसिंह खींवसर महाविद्यालय,	एफ.4(100 / 383)आकाशि / अनु / 03 / 57 दि. 28.01.09	एन.ओ.सी. प्राप्त । पत्रावली प्रक्रियाधीन ।

3.	भारतीय महिला महाविद्यालय, मकराना (नागौर)	एफ.4(169 / 215)आकाशि / अनु/ 05 / 400 दि.11.02.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   पत्रावली प्रक्रियाधीन
4.	मातृभूमि डिग्री कॉलेज, बोरावड, मकराना (नागौर)	एफ.4(168 / 214)आकाशि / अनु/ 05 / 401 दि.11.02.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   पत्रावली प्रक्रियाधीन
5.	श्री माधव महाविद्यालय, लाडनू (नागौर)	एफ.4(95 / 345)आकाशि / अनु/ 07 / 144 दि.28.01.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   विश्वविद्यालय पत्रांक: 50407 दिनांक 3.11.2009 जारी किया।
6.	क्षेत्रपाल महाविद्यालय, देसूरी (पाली)	एफ.4(31 / 219)आकाशि / अनु/ 05 / 331 दि.09.02.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   पत्रावली प्रक्रियाधीन
7.	मारवाड महाविद्यालय, डेगाना (नागौर)	एफ.4(31 / 219)आकाशि / अनु/ 05 / 368 दि.09.02.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   विश्वविद्यालय पत्रांक: 47482-49 दिनांक 6.10.2009 जारी किया।
8.	शारदा महिला महाविद्यालय, डेगाना (नागौर)	एफ.4(174 / 217)आकाशि / अनु/ 05 / 50 दि. 16.01.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   पत्रावली प्रक्रियाधीन
9.	संरक्षित कम्प्यूटर एज्यूकेशन कॉलेज, व्यावर (अजमेर)	एफ.4(10 / 11)आकाशि / अनु/ 02 / 51 दि. 16.01.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   विश्वविद्यालय पत्रांक: 49629 दिनांक 29.10.2009 जारी किया।
10.	अनिता भेमोरियल किस्तूरी देवी कन्या महाविद्यालय, आहोर (जालौर)	एफ.4(139 / 418)आकाशि / अनु/ 05 / 46 दि. 16.01.09	, u-vkl h iMr ugna
11.	देव कन्या महाविद्यालय, देवली (टोंक)	एफ.4(403 / 7)आकाशि / अनु/ 2000 / 47 दि. 16.01.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   पत्रावली प्रक्रियाधीन
12.	सज्जन विधि महाविद्यालय, पाली	एफ.4(54 / 65)आकाशि / अनु/ 2003 / 1278 दि. 5.05.09	, u-vkl h iMr ugna
13.	श्री परमहंस स्वामी माधवानंद कॉलेज, जाडन (पाली)	एफ.4(97)आकाशि / अनु/ 2007 / 1780 दि. 28.05.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   विश्वविद्यालय पत्रांक: 52501 दिनांक 17.11.2009 जारी किया।

uH%

Øe 1 a 1/ 10 o 12 ij vldr eglo/ky; kgryqjkt; ljdij  
} jk k l = 2009&2010 grgekk rk vHof) vukiflr iekk i= t jkh uglafd; kx; kgSA

II. I = 2009&2010 Is Lukrd iWz  
iHle@LukrdlMrj&iWz dHkvka ea uohu izsk ij  
jkd

१	eglo/ky; dkule	vk pr/ dlyt fkhj jkt Lkhuj t; ij dk eglo/ky; ea izsk ij jkd yxks tks grq t jkh i=k o fnsukd	vk pr/ dlyt fkhj jkt Lkhuj t; ij } jk i% t jkh vukiflr iekk i= ds vkhj ij l = 2009&10 ds fy; s fo'ofo/ky; } jk dh xbZdk ZgkA
1.	मारवाड महाविद्यालय, परबतसर (नागौर)	एफ.4(172 / 421)आकाशि / अनु/ 05 / 286 दि. 6.02.09	एन.ओ.सी. प्राप्त   विश्वविद्यालय पत्रांक: 37130 दिनांक 25.07.2009 जारी किया।
2.	लॉर्नस एण्ड मेयो गर्ल्स	एफ.4(38 / 120)आकाशि / अनु	, u-vkl h iMr ugna

	कॉलेज, अजमेर	/ 2009 / 1692 दि. 25.05.09	
3.	शहीद भगतसिंह कॉलेज, नावांशहर (नागौर)	एफ.4(177 / 213)आकाशि/ अनु/ 05 / 528 दि. 02.03.09	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 37864दिनांक 31.07.2009 जारी किया ।
4.	गुरुकुल संस्कार कन्या महाविद्यालय, सुमेरपुर (पाली)	एफ.4(83 / 333)आकाशि/अनु/ 03 / 524 दि. 02.02.09	, u-vk\h iMr ug\hA
5.	डीडवाना महिला महाविद्यालय, डीडवाना (नागौर)	एफ.4(344)आकाशि/अनु/ 07 / 2030 दि. 09.06.2008	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 33468 दिनांक 6.07.2009 जारी किया ।
6.	श्री जैन कॉलेज, केकड़ी (अजमेर)	एफ.4(172 / 421)आकाशि/ अनु/ 06 / 1713 दि. 20.5.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 44661-68 दिनांक 17.09. 2009 जारी किया ।
7.	श्री गांधी कन्या महाविद्यालय, गुलाबपुरा भीलवाड़ा	एफ.4(1)आकाशि/ अनु/ 95 / 9200 दि. 12.08.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 51133 दिनांक 05.11.2009 जारी किया ।
8.	गुलाबदेवी महाविद्यालय, (अजमेर)	मूदडा मसूदा	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन ।
9.	वीरतेजा महिला महाविद्यालय, तेजास्थली, मूण्डवा (नागौर)	एफ.4(1 / 175)आकाशि/ अनु/ 05 / 563 दि. 2.03.09	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 48130 दिनांक 24.10.2009 जारी किया ।
10.	महाराणा प्रताप महाविद्यालय, उनियारां (टोंक)	एफ.4(181)आकाशि/अनु/ 20 06 / 1736 दि. 26.05.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 43029 दिनांक 7.09.2009 जारी किया ।
11.	कन्या महाविद्यालय, निवाई (टोंक)	एफ.4(405 / 93)आकाशि/अनु/ 03 / 9481 दि. 15.09.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 51183 दिनांक 06.11.2009 जारी किया ।
12.	गायत्रीदेवी कन्या महाविद्यालय, टोडारायसिंह (टोंक)	एफ.4(225)आकाशि/अनु/ 05 / 10118 दि. 30.09.08	, u-vk\h iMr ug\hA
13.	वीरतेजा सहशिक्षा महाविद्यालय, जायल (नागौर)	एफ. 4(176 / 422)आकाशि/अनु/ 05 / 10158 30.12.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन ।
14.	इंदिरा प्रोफेशनल संस्थान, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	एफ.4(292)आकाशि/अनु/ 07 / 9083 दि. 31.07.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 50355-56 दिनांक 31.10.2009 जारी किया ।
15.	मारवाड महाविद्यालय, जयपुर रोड, पाली	एफ.4(55 / 120)आकाशि/अनु/ 09 / 1723 दि. 26.05.09	, u-vk\h iMr ug\hA
16.	राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कूकड़ (टोंक)	एफ.4(406 / 95)आकाशि/ अनु/ 03 / 1905 30.05.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 52442 दिनांक 16.11.2009 जारी किया ।
17.	पटेल महाविद्यालय, निवाई (टोंक)	एफ.4(404 / 94)आकाशि/ अनु/ 03 / 9999 15.12.08	, u-vk\h iMr ug\hA
18.	सज्जन इंटरनेशनल कॉलेज, पाली	एफ.4(336 / 408)आकाशि/ अनु/ 04 / 9679 10.10.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन ।
19.	देव महाविद्यालय, जहाजपुर (भीलवाड़ा)	एफ.4(74 / 113)आकाशि/ अनु/ 05 / 10133 30.12.08	, u-vk\h iMr ug\hA
20.	विद्या प्रोफेशनल एण्ड टेक्नीकल कॉलेज,	एफ.4(73 / 114)आकाशि/ अनु/ 04 / 9189 12.08.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन ।

	भीलवाड़ा		
21.	व्यावर कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एण्ड टैक्नॉलोजी, व्यावर (अजमेर)	एफ.4(15 / 390)आकाशि / अनु/04 / 1182 दि. 29.04.09	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन।
22.	सिस्टम कॉलेज, अजमेर	एफ.4(14 / 100)आकाशि / अनु/04 / 9447 11.09.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन।
23.	महार्षि दाविच महाविद्यालय, आरसीन्द (भीलवड़ा)	एफ.4(28 / 293)आकाशि / अनु/07 / 9554 23.09.08	, u-viki h iMr ugħha
24.	आशापूर्णा विधि महाविद्यालय, जालौर	एफ.4(50 / 260)आकाशि / अनु/06 / 9269 22.08.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन।
25.	सेठ फूलचन्द छीतरमल जैन महाविद्यालय, पीसांगन (अजमेर)	एफ.4(02 / 7)आकाशि / अनु/96 / 10119 30.12.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 50458 दिनांक 03.11.2009 जारी किया।
26.	मदरलैण्ड महाविद्यालय, टॉक	एफ.4(223 / 279)आकाशि / अनु/06 / 9277 22.08.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 50448 दिनांक 03.11.2009 जारी किया।
27.	एनीनेन्ट अकेडमिक गर्ल्स कॉलेज, डिग्गीमालपुरा (टॉक)	एफ.4(222 / 226)आकाशि / अनु/05 / 4066 26.06.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 37140 दिनांक 25.07.2009 जारी किया।
28.	श्री धनराजजी श्रीचन्दजी बादामिया कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, वरकाना, देसुरी (पाली)	एफ.4(99 / 450)आकाशि / अनु/07 / 9572 23.09.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 52584 दिनांक 18.11.2009 जारी किया।
29.	डॉ. अच्छेडकर विधि महाविद्यालय, टॉक	एफ.4(73 / 97)आकाशि / अनु/03 / 45 16.01.2009	एन.ओ.सी. प्राप्त। पत्रावली प्रक्रियाधीन।
30.	अजमेर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलोजी, अजमेर	एफ.4(61 / 120)आकाशि / अनु/09 / 1645 दि. 22.05.09	, u-viki h iMr ugħha
31.	आर्यन इंटरनेशनल कॉलेज, अजमेर	एफ.4(11 / 24)आकाशि / अनु/03 / 9202 दि. 12.08.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 29395 दिनांक 08.06.2009 जारी किया।
32.	सीतादेवी महाविद्यालय, भीलवाड़ा	एफ.4(29)आकाशि / अनु/07 / 1042 दि. 17.08.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 35155-58 दिनांक 14.07.2009 जारी किया।
33.	सीमा मेमोरियल कॉलेज, परबतसर (नागौर)	एफ.4(38 / 212)आकाशि / अनु/05 / 1977 दि. 5.06.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 35155-58 दिनांक 14.07.2009 जारी किया।
34.	कंचनदेवी कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साइंस, भीलवाड़ा	एफ.4(71 / 38)आकाशि / अनु/03 / 7043 दि. 16.07.08	एन.ओ.सी. प्राप्त। विश्वविद्यालय पत्रांक: 35155-58 दिनांक 14.07.2009 जारी किया।

*uH% Oe 1 a 2/4/12/15/17/19/23 o 30 ij v&dr egħko /ky; k  
graqjkt, 1 jdlj } jk 1 = 2009&2010 grqeqk, rk vifho  
vukifl iekk i= tħiġi ugħla fd; kx; kgħ*

अतः उपरोक्तानुसार ऐसे बिन्दु सं. I में अंकित महाविद्यालयों जिनकी मान्यता निरस्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा सत्र 2009–2010 से किसी भी कक्षा में प्रवेश पर रोक लगाई जा चुकी है, की सत्र 2009–2010

से विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने एवं बिन्दु सं. II में अंकित ऐसे महाविद्यालय जिनको सत्र 2009–2010 में केवल द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध एवं सत्र 2010–2011 में केवल तृतीय वर्ष की कक्षायें संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, को सत्र 2009–2010 में द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध एवं सत्र 2010–2011 में केवल तृतीय वर्ष हेतु सम्बद्धता दिये जाने पर विचार कर निर्णय करना । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा मान्यता बहाल करने की स्थिति में महाविद्यालय की उस सत्र से नवीन महाविद्यालय की प्रक्रियानुसार नवीन सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को निर्णय हेतु अधिकृत करने पर विचार करना ।

**निर्णय** *mä iżrlo dksLoħdlj' fd; kx;kA*

**मद संख्या 40** विश्वविद्यालय के उद्यान पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 24.11.2009 को दिये प्रतिवेदन में किये गये निवेदन कि स्वायत शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 09.01.1992 में उद्यान पर्यवेक्षक के नाम से सम्बोधित पद को विलोपित कर उद्यान निरीक्षक कर दिया गया है एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में भी उद्यान निरीक्षक का ही पदनाम है । उसी के अनुरूप इस विश्वविद्यालय में भी पदनाम उद्यान निरीक्षक किया जाए, पर विचार करना । (**कार्यसूची का परिशिष्ट– XXXVIII**)

संस्थापन

**निर्णय** *mä iżrlo dksLoħdlj' fd; kx;k , oam/ku fujħkld in dk orueku Hħfn; st kusdk fu. kZ fd; kx;kA*

**मद संख्या 41** विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों को भरने एवं पुस्तकालय हेतु आवश्यक स्टाफ की आवश्यकता बाबत् दिनांक 20.11.2009 को दिये गये प्रतिवेदन (**कार्यसूची का परिशिष्ट– XXXIX**) पर विचार करना ।

संस्थापन

**निर्णय** *vxyħċċed esfophlj grqLEħxr fd; kx;kA*

**मद संख्या 42** विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 1998 से विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु स्थानीय यात्रा करने पर रु. 20/- प्रति ट्रिप के हिसाब से पुनर्भरण महिं दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते नियमों के लोकल कन्वेंस नियम पैरा 5 में संशोधन करते हुए पुनर्भरण की राशि को रु. 40/- प्रति ट्रिप निर्धारित किए जाने पर विचार करना ।

संस्थापन

**निर्णय** *mä iżrlo dksLoħdlj' fd; kx;kA*

मद संख्या 43	पुनर्मूल्यांकन कार्य हेतु सैलर में उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल से उत्तर पुस्तिका निकालने के लिए पारिश्रमिक दर रु. 1.25 प्रति उत्तर पुस्तिका वर्ष 1987–88 से सहायक कर्मचारी को दिया जा रहा है। पारिश्रमिक की इस दर को रु. 1.25 से बढ़ाकर रु. 5/- प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित किए जाने पर विचार करना।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	<i>mä dk Zgrq iMjJfed dh nj :- 1.25 Is c&lt;kdj :- 2.50 fd; st kusdk fu. kZ fd; kx; kA</i>	
मद संख्या 44	विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों को मूल्यांकन हेतु वाहनों में चढ़ाने और उतारने हेतु वर्ष 2003 से पारिश्रमिक की राशि रु. 1.50 प्रति बण्डल सहायक कर्मचारी को दी जा रही है। पारिश्रमिक की इस दर को रु 1.50 से बढ़ाकर रु 5/- प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित किए जाने पर विचार करना।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	<i>mä dk Zgrq iMjJfed dh nj :- 1.50 Is c&lt;kdj :- 4.00 fd; st kusdk fu. kZ fd; kx; kA</i>	
मद संख्या 45	स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 18.08.2009 के कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ठ—XXXX) पर विचार करना।	स्पोर्ट्स बोर्ड
निर्णय	<i>कार्यसूची के परिशिष्ठ—XXXX ij iLrq dk ZVk dk vuqknu fd; kx; kA</i>	
मद संख्या 46	विश्वविद्यालय में 1987 से राजस्थान विश्वविद्यालय की हैण्डबुक के अध्यादेश तब तक के लिए प्रभावशील किए गए थे, जब तक, इस विश्वविद्यालय के अध्यादेश न बन जाएँ। म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर Conditions of Service etc. of Employees नियम प्रबन्ध बोर्ड द्वारा 27. 06.1998 को लागू किए गए, जिनमें राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में समाहित कुछ सेवा शर्तों का समावेश कर लिया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि, अध्यादेश 384-A, जो निम्नानुसार है, उसे प्रभावशील रखा गया है अथवा विलोपित किया गया है क्योंकि इस अध्यादेश का प्रावधान सेवा शर्तों में नहीं किया गया है और न ही इस अध्यादेश को विलोपित करने का निर्णय किया गया है:	संस्थापन
<b>O.384-A</b> "The syndicate may permit a University employee to contest election in lok Sabha/Vidhan Sabha, Civil Bodies by granting him whatever relief, including leave without pay, to which he is entitled to under the Leave Rules in force. An employee who is elected/nominated to Lok Sabha or Vidhan Sabha will required to take leave of absence		

during his term as member. During the period of his membership he will not lose his seniority and increments."

अतः उक्त अध्यादेश 384-A को इस विश्वविद्यालय की सेवा शर्ते नियम के नियम 36 के अन्तर्गत प्रभावशील रखने पर विचार करना ।

**निर्णय** *vxyh cBd esfoplj grqLffxr fd; kx; kA*

**मद संख्या 47** प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 38 दिनांक 04.07.2009 की अनुपालना में प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्य प्रो. रमाकान्त के पत्र दिनांक 19.11.2009 (कार्यसूची का परिशिष्ट— XXXXI) से अवगत होना ।

**संस्थापन**

**निर्णय** *Lohdkj fd; kx; kA*

**मद संख्या 48** विश्वविद्यालय के अध्यादेश 86 (बी) (2) के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किये जाने पर विचार करना :

**परीक्षा**

<i>orZku esfo/eku iho/ku</i>	<i>iIrkfor I dkkfr iho/ku</i>
A Candidate who has passed Ist year/part-Ist Examination as a regular student from any University/Autonomous college(s) established by statutory provisions may be granted admission to IIInd year/part-II Examination in Faculty of Arts, Social Science, Commerce, Science, excluding Agriculture & Sanskrit Studies of the University by the Vice-Chancellor on the recommendation on the Dean of the Faculty, considered on such terms and conditions as laid down by the Dean and the existing provisions with regard to IIIrd year/part-III as laid down in the existing Ord.86 B may continue.	A Candidate who has passed Ist year/part-Ist Examination as a regular student from any University/Autonomous college(s) established by statutory provisions may be granted admission to IIInd year/part-II Examination in Faculty of Arts, Social Science, Commerce, Science, Management studies, Vedic Studies, Journalism & Mass Communication, Education of the University by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Dean of the Faculty concerned on such terms and conditions as laid down by the Dean and the existing provisions with regard to IIIrd year/part-III as laid down in the existing Ord. 86 B (1) (a) & (b) may continue.

निर्णय *vxyh cBd esfopkj grqLkxr fd;kx;ka*  
मद संख्या 49 स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 के कार्यवृत्त (कार्यसूची का परिशिष्ठ—XXXXII) पर विचार करना। स्पोर्ट्स बोर्ड

निर्णय कार्यसूची के परिशिष्ठ—XXXXII *ij idrqr dk ZYk dk vuqknu fd;kx;ka*

बैठक की कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड को अवगत कराया गया कि इण्डियन कॉमर्स एसोसिएशन की 62वीं ऑल इण्डिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में गत 10 से 12 अक्टूबर, 2009 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में लगभग 28 से 30 लाख तक की राशि का व्यय हुआ, जो स्पोन्सर्स के माध्यम से किया जा सका। विश्वविद्यालय की ओर से किसी प्रकार का आर्थिक व्यय नहीं हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव कुलपति प्रो. भगीरथ सिंह जी को वर्ष 2010 की ऑल इण्डिया कॉमर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया।

प्रबन्ध बोर्ड ने विश्वविद्यालय पर बिना कोई आर्थिक भार डाले उक्त कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन किए जाने की सर्वसम्मति से भूरी-भूरी प्रशंसा की और ऑल इण्डिया कॉमर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर प्रो. भगीरथ सिंह जी को बधाई दी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

*dyifr  
dyifpo*